न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम आर0 ए0 एस0
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 99 / 2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भोमाराम पुत्र भूपाराम जाति मेघवाल निवासी धोरीमना पटवार क्षैत्र धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।		1. कालूराम पुत्र भाखराराम जाति मेघवाल निवासी मेगवालों की बस्ती, पटवार क्षैत्र चैनपुरा तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थन। 2. सुरेश पुत्र मेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना पटवार क्षैत्र धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। 3. जेठमल पुत्र मेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना पटवार क्षैत्र धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाडमेर राजस्थान। 4. गिरधारीराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी मूढ़सर पटवार क्षैत्र बोर चारणान् तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। 5. धर्माराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी मूढसर पटवार क्षैत्र बोर चारणान् तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। 6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 49, 88(1), 89(ख), 89 (ग), 89(छ), 188 (2) (घ) व 209 रा0का0अधि0 वास्ते चकबन्दी (अदला– बदली), घोषणा, भूमि क्षेत्र (Holding) के क्षेत्रफल, संख्याकित प्लॉट व सीमाएं परिवर्तन, लगान कमी करना, स्थायी निषेधाज्ञा

तारीख रजू 05/10/23

अधिवक्तागणः–

01. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता वादी
02. श्री रामनिवास विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 05

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

––:: निर्णय ::––

दिनांक 03/01/24

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 49, 88(1), 89(ख), 89 (ग), 89(छ), 188 (2) (घ) व 209 रा0का0अधि0 वास्ते चकबन्दी (अदला– बदली), घोषणा, भूमि क्षेत्र (Holding) के क्षेत्रफल, संख्याकित प्लॉट व सीमाएं परिवर्तन, लगान कमी करना, स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया हैं कि वादी की खातेदारी (कृषि भूमि) के खेत ग्राम धोरीमना पटवार क्षैत्र धोरीमना तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

03/01/24
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

मना के खेत खाता संख्या 507 खसरा नम्बर 786 क्षैत्रफल 3.4641 हेक्टेयर (रकबा 21–08 बीघा) किस्म बारानी सोयम लगान 1.04 रूपये का आया हुआ है जो आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से ग्राम धोरीमना पटवार मण्डल धोरीमना तहसील धोरीमना के खाता संख्या 76 खसरा संख्या 786/24 क्षेत्रफल 0.0162 हेक्टेयर का आया हुआ है जो आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जाएगा। जिसकी जमाबन्दी नकल, नक्शा की प्रति संलग्न है। वादी व वादी के भाईयों के नाम से ग्राम धोरीमना के खेत खसरा 786 रकबा 99–03 बीघा भूमि संयुक्त रूप से थी जो सभी भाईयों ने मिलकर आपसी सहमति से श्रीमान् तहसीलदार धोरीमना के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति सें बंटवारा करा दिया गया था जो वादी के बंट (भाग) में हाईवे से पूर्व दिशा में खसरा संख्या 786 में रकबा 21–10 बीघा किया गया। जिसका नामान्तकरण संख्या 879 का भरा जाकर स्वीकृत किया गया जो जो तहसीलदार गुड़ामालानी आदेश भू0अ0/ 2000/3249–50 दिनांक 6.07.2000 स्वीकृत किया गया था। मूल खसरा संख्या 786 रकबा 99–03 बीघा किस्म बारानी सोयम के तत्कालीन खातेदार – आसू, नीम्बा, गुलाबा, पि0 हिमता मगा, राणा, अणदा, भोमा पि0 भूपा कौम मेगवाल निवासी धोरीमना द्वारा विहित प्राधिकारी/ श्रीमान् तहसीलदार गुड़ामालानी के कार्यालय आदेश :– 82–85 दिनांक 30.01.1996 को रकबा 2000 वर्गमीटर की भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन करवा दी थी, हाईवे से पूर्व दिशा में अवस्थित है जो भूमि भाई बंटवारा अनुसार वादी भोमाराम के बंट में आ गई। उस स्थान पर तरमीम वादी के पक्ष में रकबा कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त सम्परिवर्तन सम्पूर्ण रकबा 2000 वर्गमीटर वादी के पक्ष में आ गई जो वादी के भाग में रकबा जुड़ गया। रकबा 2000 वर्गमीटर में से वादी द्वारा रकबा 2000 वर्गफिट यानि 186 वर्गमीटर की भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 सुरेशकुमार पुत्र मेवाराम जाति ओसवाल निवासी धोरीमना को दिनांक 21.08.1996 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 52 पेज 1459 क्रम संख्या 1459/96 तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 76 के पृष्ठ संख्या 5645 से 5648 पर चस्पा किया गया उप पंजीयक गुड़ामालानी पंजीबद्ध के कार्यालय से पंजीबद्ध दस्तावेज से बेचान कर दी गई थी। रकबा 2000 वर्गमीटर में से वादी द्वारा रकबा 1500 व 500 कुल 2000 वर्गफिट यानि 186 वर्गमीटर की भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 गिरधारीराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी मूढ़सर को दिनांक 11.02.1997 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 60 पेज 62 क्रम संख्या 265/1997 तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 76 के पृष्ठ संख्या 245 से 248 पर चस्पा किया गया उप पंजीयक गुड़ामालानी पंजीबद्ध किया गया है जिसका कुल क्षैत्रफल 1500 वर्गफिट एवं दिनांक 21.08.1996 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 52 पेज 1458 क्रम संख्या 1456/96 तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 76 के पृष्ठ संख्या 5641

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

03/01/24

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

5644 पर चस्पा किया गया उप पंजीयक गुडामालानी पंजीबद्ध किया गया था जिसका कुल क्षैत्रफल 500 वर्गफिट दोनों दस्तावेजों में कुल क्षैत्रफल 2000 वर्गफिट बेचान कर दी गई थी। वादी के बंट खसरा संख्या 786 में से रकबा 0–02 बिस्वा की भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 कालूराम को दिनांक 01.08.2023 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 219 में पृष्ठ संख्या 20 क्रम संख्या 2012001620 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 595 के पृष्ठ संख्या 71 से 78 पर चस्पा उप पंजीयक गुड़ामालानी से बेचान दस्तावेज पंजीबद्ध किया गया था। मूल खसरा संख्या 786 वादी द्वारा Office of Prescribed Authority : SUB DIVISIONAL OFFICER DHORIMANA Certificate Ref. No. : LC/ 2021-22/ 110383 Date 09-11-2021 रकबा 3150 वर्गमीटर की भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन करवा दी थी। वादी द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन रकबा 3150 वर्गमीटर में से दिनांक 07.01.2022 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 63 में पृष्ठ संख्या 57 क्रम संख्या 202203110100045 पर पंजीबद्ध तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 250 के पृष्ठ संख्या 22 से 25 पर चस्पा किया गया के जरिये प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम को क्षैत्रफल 4000 वर्गफिट यानि 372 वर्गमीटर बेचान कर दी है। मूल खसरा संख्या 786 मे सें वादी द्वारा कार्यालय तहसीलदार धोरीमना के आदेश क्रमांक :– /2021/समर्पण/755–758 दिनांक 01.11.2021 रकबा 0.0160 हेक्टेयर की भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कर दी है। प्रतिवादी संख्या 01 की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 786/24 का राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 0.0162 हेक्टेयर है जिसकी तरमीम मौके, कब्जा, खरीद दस्तावेज के अनुसार नहीं है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 786/24 की तरमीम हाईवे पर दक्षिण दिशा में कौने में बताया गया हैं जबकि बेचान दस्तावेज में अंकित पड़ौस अनुसार सही नहीं है, जिसके बदले वादी के खसरा संख्या 786 में बीचों–बीच दी जाएं, खसरा संख्या 786/24 की भूमि वादी को दिया जाना आवश्यक है, जिस पर वादी का कब्जा काश्त हैं वादी के खसरा नम्बर 786 में समायोजित किया जाएं, अदला–बदली तथा सीमाएं परिवर्तन की जाएं। मूल खसरा 786 क्षैत्रफल 3.4641 हेक्टेयर में से क्षैत्रफल 0.160 हेक्टेयर समर्पण भूमि, क्षैत्रफल 0.2000 हेक्टयर आवासीय भूमि, क्षैत्रफल 0.3150 हेक्टेयर वाणिज्यिक भूमि कम की जाएं। वादी द्वारा बेचान भूमि को वादी के रकबे में से कम जाएं व प्रतिवादीगण के आपस में दिये गये प्लॉट अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकित किया जाएं जिससे वादी को व्यर्थ में मानसिक रूप से परेशान नहीं होने पड़े व राजस्व रेकर्ड में सही व मौके अनुसार काबिज हो जाएं तो भविष्य में आपस में समस्या नहीं आ सके इसलिए वादग्रस्त आराजी में [illegible] दिशा की तरफ से क्षैत्रफल 0. 0160 हेक्टेयर राज्य सरकार के [illegible] मूल खसरा 786 में से कम की जाए, उसके बाद वादी स्वयं की क्षेत्रफल 0.1231 हेक्टेयर, उसके बाद बाद प्रतिवादी संख्या 02

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

शकुमार पुत्र मेवाराम का क्षैत्रफल 0.0186 हेक्टेयर (कुल क्षैत्रफल 2000 वर्गफिट), उसके उपर खसरा संख्या 786 / 24 प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल पुत्र मेवाराम का 0.0162 हेक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 01 कालूराम का नाम विलोपित किया जाएं उसके स्थान पर जेठमल पुत्र मेवाराम किया जाएं, उसके बाद प्रतिवादी संख्या 04 गिरधारीराम पुत्र लिखमाराम की क्षैत्रफल 0.0186 हेक्टेयर (1500 वर्गफिट व 500 वर्गफिट कुल क्षैत्रफल 2000 वर्गफिट) , उसके बाद वादी स्वयं की क्षैत्रफल 0.0397 हेक्टेयर, (1231, 186,186,397) वर्गमीटर आवासीय सम्परिवर्तन क्षैत्रफल 2000 वर्गमीटर से कम की जाएं, सम्परिवर्तित क्षैत्रफल 3150 वर्गमीटर में प्रतिवादी संख्या 04 के नाम क्षैत्रफल 0.0372 हेक्टेयर (कुल क्षैत्रफल 4000 वर्गफिट) कम किया जाएं। मुल रकबे में कम हुई भूमि अनुसार वादी के लगान 1.04 में से लगान 0.13 रूपये कम की जाएं। इस प्रकार वादी की अदला– बदली करने, सीमाएं परिवर्तन, लगान कम करने, प्लॉट का रकबा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करने का वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादी की अदला– बदली करने, सीमाएं परिवर्तन, लगान कम करने, प्लॉट का रकबा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करवाने के विधिक अधिकारी है। इसके साथ ही, वादी अपने पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि उपरोक्त वर्णित की अदला– बदली करने, सीमाएं परिवर्तन, लगान कम करने, प्लॉट का रकबा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करने के बाद में किसी प्रकार की दखंलदाजी नहीं करे और न ही वादी के हिस्से व बंट पर जबरन कब्जा करने से प्रतिवादीगण को पांबदित करवावें, जिसकी पूर्ति यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। बिनायदावा जब वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के खातेदारी व प्लॉट में अंकित हुई तब, अरसा 15 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 व 05 व उनके परिवार के सदस्यों ने वादी को भूमि से वंचित रखने के लिये बेचान, अवैध कब्जा करने की धमकियां दी गयी तब, प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की तब वादी को उनके कब्जे काश्त में बेदखल करने की कोशिश की गयी तब तब वादकारण बमुकाम ग्राम धोरीमना पटवार क्षैत्र धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर में पैदा हुआ हैं तब वादीग को यह वाद लाना लाजमी हो गया है। अनुतोषः अतः वादी की इस्तदुआ है कि निम्नाकित डिकरी व निर्णय बहक वादी और प्रतिवादीगण के खिलाफ फरमायी जावें। क. कि ग्राम धोरीमना पटवार क्षैत्र धो[illegible] खाता संख्या 507 खसरा नम्बर 786 क्षैत्रफल 3.4641 हेक्टेयर (रकबा 21–0[illegible]) [illegible] बारानी सोयम लगान 1. 04 रूपये व ग्राम धोरीमना पटवार [illegible] धोरीमना के खाता संख्या 76 खसरा संख्या 786 / 24 क्षेत्रफल 0.0162 हेक्टेयर अद[illegible] बदली व सीमाएं परिवर्तन की

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ए मूल खसरा संख्या 786 मे से क्षेत्रफल 0.2000 हेक्टेयर आवासीय, क्षेत्रफल 0.3150 हेक्टेयर वाणिज्यिक, क्षेत्रफल 0.0160 हेक्टेयर समर्पण कर रकबा कम किया जाए। ख. कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 786 का लगान 1.04 रूपये में से लगान 0.13 रूपये कम की जाएं। ग. कि मूल खसरा संख्या 786 मे नया खसरा जिसका क्षेत्रफल 0.2000 हैक्टेयर में निम्न अनुसार उपविभाजित किया जाएं – उसके बाद वादी स्वयं का क्षेत्रफल 0.1231 हेक्टेयर, उसके बाद प्रतिवादी संख्या 02 सुरेशकुमार पुत्र मेवाराम का क्षैत्रफल 0.0186 हेक्टेयर (कुल क्षैत्रफल 2000 वर्गफिट), उसके बाद प्रतिवादी संख्या 04 गिरधारीराम पुत्र लिखमाराम की क्षैत्रफल 0.0186 हेक्टेयर (1500 वर्गफिट व 500 वर्गफिट कुल क्षैत्रफल 2000 वर्गफिट) , उसके बाद वादी स्वयं की क्षैत्रफल 0.0397 हेक्टेयर, (1231, 186,186,397) वर्गमीटर आवासीय की जाएं। मूल खसरा संख्या 786 में नया खसरा जिसका क्षैत्रफल 0.3150 हेक्टेयर में से निम्न अनुसार उपविभाजित किया जाएं वादी स्वयं क्षैत्रफल 0.2778 हेक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 04 के नाम क्षैत्रफल 0.0372 हेक्टेयर (कुल क्षैत्रफल 4000 वर्गफिट) किया जाएं। घ. कि वादी की इस्तदुआ 18क, 18ख, 18ग अनुसार सीमाएं परिवर्तन, कम कम, सम्परिवर्तन अलग–अलग खाता का राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण दर्ज किया जाएं। ड. कि वाद में घोषणा बाद वादी को प्राप्त होने वाली भूमि में प्रतिवादीगण उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि किसी प्रकार की दंखल अन्दाजी व हस्तक्षेप, बाधा व परिवर्तन नहीं करें, तथा वादी को अपने कब्जे काश्त की भूमि तक आने–जाने में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें राजस्व व मौके पर रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, जिस हेतु प्रतिवादीगण उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंदित किया जावें। च. कि अन्य सहायता जो वाद की जांच से वादी के पक्ष में प्रमाणित हो वो वादीगण को दिलवाई जावे और धारा 209 रा0का0 अधि0, सपठित आदेश 7 नियम 7 व सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत वादीग इस्तदुआ प्राप्त करने का हकदार बनते हो वो दिलवाई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 नोटिस से तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास विश्नोई प्रतिवादी सख्या 01 कालूराम पुत्र भाखराराम जाति मेघवाल निवासी मेगवालों की बस्ती पटवार क्षैत्र चैनपुरा तहसील धोरीमना, 02 सुरेश पुत्र मेवाराम, 03 जेठमल पुत्र मेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना पटवार क्षैत्र धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर वालों की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब जरिये शपथ पत्र पेश किया हैं वाद पत्र के पद समस्त पद स्वीकार किया, वाद पत्र के पद संख्या 05 सही होने से स्वीकार है का जबाब यह हैं कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में किया यह बात

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

03/01/24

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

य हैं वादी द्वारा 786 में आवासीय सम्परिवर्तन रकबा 2000 वर्गमीटर में से वादी ने प्रतिवादी संख्या 02 सुरेशकुमार पुत्र मेवाराम जाति ओसवाल निवासी धोरीमना द्वारा दिनांक 21.08.1996 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 52 पेज 1459 क्रम संख्या 1459/96 तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 76 के पृष्ठ संख्या 5645 से 5648 पर चस्पा किया गया उप पंजीयक गुड़ामालानी के कार्यालय से पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज से रकबा 2000 वर्गफिट यानि 186 वर्गफिट 0.0186 हेक्टेयर बेचान किया गया, प्रतिवादी संख्या 02 के खरीद दिनांक 21.08.1996 की सम्पूर्ण दिनांक 03.10.2023 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 79 में पृष्ठ संख्या 49 क्रम संख्या 202303110101394 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 313 पृष्ठ संख्या 193 से 196 पर पंजीबद्ध दान पत्र दस्तावेज दान पत्र के जरिये प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल पुत्र मेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना के नाम कर दी गई है। उक्त रकबा 2000 वर्गफिट यानि 0.0186 हेक्टेयर का मालिक प्रतिवादी संख्या 03 है जो प्रतिवादी संख्या 03 के नाम राजस्व रेकर्ड दन्द्राज करने का अधिकारी है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के लिए प्रतिवाद भी पेश है। वाद पत्र के पद संख्या 07 सही होने से स्वीकार है का जबाब यह हैं कि का जबाब यह हैं कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में किया यह बात सत्य हैं वादी के बंट खसरा संख्या 786 में से रकबा 0–02 बिस्वा की भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 कालूराम को दिनांक 01.08.2023 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 219 में पृष्ठ संख्या 20 क्रम संख्या 2012001620 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 595 के पृष्ठ संख्या 71 से 78 पर चस्पा उप पंजीयक गुड़ामालानी से बेचान दस्तावेज पंजीबद्ध किया गया था जिसका ग्राम धोरीमना के नामान्तकरण संख्या 1601 नामान्तकरण स्वीकृत दिनांक 24.08.2012 के जरिये रेकर्डेड खातेदार बना तथा ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786/24 रकबा 0–02 बीघा किस्म बारानी सोयम का निर्माण हुआ था। उसके बाद उक्त भूमि को आवासीय सम्परिवर्तन करवाकर प्रतिवादी संख्या 01 कालूराम पुत्र भाखराराम ने भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल पुत्र मेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना के पक्ष में दिनांक 05.10.2012 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 221 में पृष्ठ संख्या 20 क्रम संख्या 2012002020 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 603 के पृष्ठ संख्या 135 से 144 पर बेचान दस्तावेज पंजीबद्ध अनुसार सम्पूर्ण भूमि बेचान प्रतिवादी संख्या 03 को कर दी अब उक्त रकबा 1742.4 वर्गफिट यानि 0.0162 हेक्टेयर का मालिक प्रतिवादी संख्या 03 है प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकर्ड में किसी भी प्रकार की जमीन नहीं है इसलिए प्रतिवादी संख्या [illegible] का [illegible] राजस्व रेकर्ड में विलोपित कर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 03 [illegible] प्रतिवाद भी पेश है। व बेचान दस्तावेज में खसरा संख्या 876/19 के स्थान पर खसरा संख्या 786/24 शुद्धि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

03/01/2[illegible]

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवाद पेश है। वाद पत्र के पद संख्या 14 आंशिक स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा कभी वादी को बेदखल करने की धमकिया नही दी हैं यह बात गलत व मनगढ़त अंकित की है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज बेचान दस्तावेज अनुसार नहीं होने से बाद कारण जरूर उत्पन्न हुआ है। **प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) निम्न पेश किया – प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल पुत्र गेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना का है कि प्रतिवाद के जरिये इस्तदुआ निम्नांकित निर्णय व डिक्री बहक प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में एवं खिलाफ वादी सादिर फरमाई जावें :–01.** कि ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786/24 में प्रतिवादी संख्या 01 कालूराम पुत्र भाखराराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल पुत्र मेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाएं। 2. **कि बेचान दस्तावेज दिनांक 05.10.2012 में अंकित खसरा 786/19 के स्थान पर खसरा संख्या 786/24 घोषित किया जाएं।** 03. कि खसरा संख्या 786 में आवासीय भूमि 2000 वर्गमीटर में से रकबा 2000 वर्गफिट यानि 0.0186 हेक्टेयर का मालिक प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल पुत्र मेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाएं। 04. कि वाद व प्रतिवाद विचारण के दौरान जो अनुतोष प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित हो तो प्रतिवादीगण को वादी से दिलाया जावें।

वकील प्रतिवादी श्री रामनिवास विश्नोई प्रतिवादी सख्या 04 गिरधारीराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी मूढसर पटवार क्षैत्र बोर चारणान् 05 धर्माराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी मूढसर पटवार क्षैत्र बोर चारणान् तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान वालों की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का बिन्दुवार जबाब मय प्रतिवाद निम्न अनुसार पेश हैं वाद पत्र के समस्त पद स्वीकार किया गया वादी का आवासीय सम्परिवर्तन रकबा 2000 वर्गमीटर में से वादी द्वारा रकबा 1500 व 500 कुल 2000 वर्गफिट यानि 186 वर्गमीटर की भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 गिरधारीराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी मूढ़सर को दिनांक 11.02.1997 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 60 पेज 62 क्रम संख्या 265/1997 तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 76 के पृष्ठ संख्या 245 से 248 पर चस्पा किया गया उप पंजीयक गुड़ामालानी पंजीबद्ध किया गया था जिसका कुल क्षैत्रफल 1500 वर्गफिट एवं दिनांक 21.08.1996 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 52 पेज 1458 क्रम संख्या 1456/96 तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 76 के पृष्ठ संख्या 5641 से 5644 पर चस्पा किया गया उप पंजीयक गुड़ामालानी पंजीबद्ध किया गया था जिसका कुल क्षैत्रफल दोनों दस्तावेजों में कुल क्षैत्रफल 2000 वर्गफिट बेचान कर दी गई थी प्रतिवादी संख्या 04 के खरीद दिनांक 21.08.1996 व 11.02.1997 की सम्पूर्ण भूमि दिनांक 2023 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 79 में पृष्ठ संख्या 49 क्रम संख्या 2023[illegible]3110101393 अतिरिक्त पुस्तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

03/01/24

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 01 जिल्द संख्या 313 पृष्ठ संख्या 189 से 192 पर पंजीबद्ध दान पत्र दस्तावेज दान पत्र के जरिये प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी मूढ़ासर के नाम कर दी गई है। उक्त रकबा 2000 वर्गफिट यानि 0.0186 हेक्टेयर का मालिक प्रतिवादी संख्या 05 है जो प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम के नाम राजस्व रेकर्ड दन्द्राज करने का अधिकारी है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के लिए प्रतिवाद भी पेश है। वाद पत्र के पद संख्या 09 सही होने से स्वीकार है का जबाब यह हैं कि वादी द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन रकबा 3150 वर्गमीटर में से दिनांक 07.01.2022 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 63 में पृष्ठ संख्या 57 क्रम संख्या 2022 03110100045 पर पंजीबद्ध तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 250 के पृष्ठ संख्या 22 से 25 पर चस्पा किया गया के जरिये प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी मूढ़सर को क्षैत्रफल 4000 वर्गफिट यानि 372 वर्गमीटर बेचान कर दी है। उक्त रकबा 4000 वर्गफिट यानि 0.0372 हेक्टेयर का मालिक प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम है जो प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम के नाम राजस्व रेकर्ड दन्द्राज करने का अधिकारी है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के लिए प्रतिवाद भी पेश **प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) निम्नानुसार प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी मूढ़सर तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर का है कि प्रतिवाद के जरिये इस्तदुआ निम्नांकित निर्णय व डिक्री बहक प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में एवं खिलाफ वादी सादिर फरमाई जावें** :–01. कि **ग्राम धोरीमना के** खसरा संख्या 786 में आवासीय भूमि 2000 वर्गमीटर में से रकबा 2000 वर्गफिट यानि 0.0186 हेक्टेयर का मालिक प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी मूढ़सर के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाएं। 02. कि वादी द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन रकबा 3150 वर्गमीटर में से बेचान दिनांक 07.01.2022 क्षैत्रफल 4000 वर्गफिट यानि 372 वर्गमीटर बेचान प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम के नाम राजस्व रेकर्ड दन्द्राज किया जाएं। 03. कि वाद व प्रतिवाद विचारण के दौरान जो अनुतोष प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित हो तो प्रतिवादीगण को वादी से दिलाया जावें। दोनों जबाब दावे सामिल मिसल किया।

वादी द्वारा प्रतिवाद का जबाबुलजवाब प्रस्तुत नही करने पर हस्तगत प्रकरण में तनकियात कायम की गई।

निम्नलिखित तनकियात्

1. आया ग्राम धोरीमना पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खाता संख्या 507 खसरा नम्बर 786 क्षैत्रफल 3.4641 हेक्टेयर (रकबा 21–08 बीघा) किस्म बारानी सोयम लगान 1.04 रुपये से ग्राम धोरीमना पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खाता संख्या 76 खसरा संख्या 786/24 क्षेत्रफल 0.0162 हेक्टेयर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

03/01/24

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

आपस में अदला बदली व सीमाएं परिवर्तन की जाएं मूल खसरा संख्या 786 मे से क्षैत्रफल 0.2000 हेक्टेयर आवासीय, क्षैत्रफल 0.3150 हेक्टेयर वाणिज्यिक, क्षैत्रफल 0.0160 हेक्टेयर समर्पण कर रकबा कम किया जाए।

.... जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 786 का लगान 1.04 रूपये में से लगान 0.13 रूपये कम की जाएं।

.... जिम्मे वादी

3. आया मूल खसरा संख्या 786 मे नया खसरा जिसका क्षैत्रफल 0.2000 हैक्टेयर में निम्न अनुसार उपविभाजित किया जाएं — उसके बाद वादी स्वयं का क्षैत्रफल 0.1231 हेक्टेयर, उसके बाद प्रतिवादी संख्या 02 सुरेशकुमार पुत्र मेवाराम का क्षैत्रफल 0.0186 हेक्टेयर (कुल क्षैत्रफल 2000 वर्गफिट), उसके बाद प्रतिवादी संख्या 04 गिरधारीराम पुत्र लिखमाराम की क्षैत्रफल 0.0186 हेक्टेयर (1500 वर्गफिट व 500 वर्गफिट कुल क्षैत्रफल 2000 वर्गफिट) , उसके बाद वादी स्वयं की क्षैत्रफल 0.0397 हेक्टेयर, (1231, 186,186,397) वर्गमीटर आवासीय की जाएं। मूल खसरा संख्या 786 में नया खसरा जिसका क्षैत्रफल 0.3150 हेक्टेयर में से निम्न अनुसार उपविभाजित किया जाएं वादी स्वयं क्षैत्रफल 0.2778 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 05 के नाम क्षैत्रफल 0.0372 हेक्टेयर (कुल क्षैत्रफल 4000 वर्गफिट) किया जाएं।

.... जिम्मे वादी

4. आया वादी की इस्तदुआ 18क, 18ख, 18ग अनुसार सीमाएं परिवर्तन, रकबा कम, सम्परिवर्तन अलग—अलग खाता का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाएं।

.... जिम्मे वादी

5. आया वाद में घोषणा बाद वादी को प्राप्त होने वाली भूमि में प्रतिवादीगण उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि किसी प्रकार की दंखल अन्दाजी व हस्तक्षेप, बाधा व परिवर्तन नहीं करें, तथा वादी को अपने कब्जे काश्त की भूमि तक आने—जाने में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें राजस्व व मौके पर रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, जिस हेतु प्रतिवादीगण उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंदित किया जावें।

.... जिम्मे वादी

6. आया ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786/[illegible] प्रतिवादी संख्या 01 कालूराम पुत्र भीखराराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या [illegible] जेठ[illegible] पुत्र मेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज [illegible] जाएं।

.... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 03

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

03/01/24

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

7. आया बेचान दस्तावेज दिनांक 05.10.2012 में अंकित खसरा 786/19 के स्थान पर खसरा संख्या 786/24 घोषित किया जाएं।

.... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 03

8. आया खसरा संख्या 786 में आवासीय भूमि 2000 वर्गमीटर में से रकबा 2000 वर्गफिट यानि 0.0186 हेक्टेयर का मालिक प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल पुत्र मेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाएं।

.... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 03

9. आया ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786 में आवासीय भूमि 2000 वर्गमीटर में से रकबा 2000 वर्गफिट यानि 0.0186 हेक्टेयर का मालिक प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी मूढ़सर के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाएं।

.... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 05

10. आया वादी द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन रकबा 3150 वर्गमीटर में से बेचान दिनांक 07.01.2022 क्षैत्रफल 4000 वर्गफिट यानि 372 वर्गमीटर बेचान प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम के नाम राजस्व रेकर्ड दन्द्राज किया जाएं।

.... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 05

न्यायालय

11. अन्य सहायता ?

बाद पत्रावली वादी के साक्ष्य में पेश हुए वादीगण द्वारा वादी का भोमाराम द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जो प्रदर्श पी डब्ल्यू –01, तथा दस्तावेजात् ग्राम धोरीमना के खाता संख्या 507 की जमाबन्दी नकल प्रदर्श पी–01, ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786 का नक्शा मय जमाबन्दी प्रदर्श पी–02, सम्परिवर्तन आदेश प्रदर्श पी–03, सहमति बंटवारा प्रदर्श पी–04, सहमति बंटवारा नामा० सं० 879 प्रदर्श पी–05, बेचान दस्तावेज संख्या 1459/96 प्रदर्श पी–06, बेचान दस्तावेज संख्या 1458/96 प्रदर्श पी–07, बेचान दस्तावेज संख्या 265/97 प्रदर्श पी–08, ग्राम धोरीमना के खाता संख्या 76 की जमाबन्दी प्रदर्श पी–09, ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786/24 का नक्शा मय जमाबन्दी प्रदर्श पी–10, बेचान दस्तावेज संख्या 1620/12 प्रदर्श पी–11, नामान्तकरण संख्या 1601 प्रदर्श पी–12, समर्पण आदेश प्रदर्श पी–13, सम्परिवर्तन आदेश प्रदर्श पी–14, आदेश पंजीकरण प्रदर्श पी–15, परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16, प्रदर्शित कराये। वादी संख्या 01 से [illegible] वकील द्वारा की गई, जिरह व ब्यान लेखबन्द कर शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] साक्ष्य में वादी के पुत्र लूणाराम का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल [illegible] साक्ष्य शपथ पत्र जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

03/01/24

सहायक कलक्टर (SDO) जिला–[illegible]

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श पी डब्ल्यू –02 प्रदर्शित किया तथा ब्यान कलम बध कर जिरह प्रतिवादी वकील की गई जो सामिल पत्रावली की गई।

बाद पत्रावली प्रतिवादीगण के साक्ष्य में पेश हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 कालूराम द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जो प्रदर्श डी डब्ल्यू –01, प्रतिवादी संख्या 02 सुरेश कुमार साक्ष्य शपथ पत्र प्रदर्श डी डब्ल्यू– 02, प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल साक्ष्य शपथ पत्र प्रदर्श डी डब्ल्यू –03, दस्तावेजात्– बेचान दस्तावेज संख्या 2012002020 / 05.10.12 प्रदर्श डी 01, दान पत्र दस्तावेज संख्या 202303110101394 / 03.10.2023 प्रदर्श डी–02, प्रदर्शित कराये तथा ब्यान कलम बध कर जिरह वादी वकील की गई जो सामिल पत्रावली की गई।

बाद पत्रावली प्रतिवादीगण के साक्ष्य में पेश हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 गिरधारीराम द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जो प्रदर्श डी डब्ल्यू –04, प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम साक्ष्य शपथ पत्र प्रदर्श डी डब्ल्यू– 05, दस्तावेजात्– बेचान दस्तावेज संख्या 202303110100045 / 07.01.2022 प्रदर्श डी–03, दान पत्र दस्तावेज संख्या 20230311010l393 / 03.10.2023 प्रदर्श डी–04 प्रदर्शित कराये तथा ब्यान कलम बध कर जिरह वादीवकील की गई जो सामिल पत्रावली की गई।

वादी वकील द्वारा बहस की गई बहस में वादी वकील द्वारा निवेदन किया हैं वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी की तरमीम मौके अनुसार काबिज काश्त तरमीम शुद्धि की जाएं तथा सम्परिवर्तन हुई भूमि की लगान कम की जाएं, दो सम्परिवर्तन दस्तावेजों के आधार भूमि का नामान्तकरण दायर किया जाएं, ताकि राजस्व कार्य वादी का आसानी से हो जाएं एवं प्रत्येक खसरों के रेकर्ड व काबिज अनुसार नामान्तकरण होने से वादी रेकर्ड सम्बन्धि भविष्य में समस्या नही रहे। तथा प्रतिवादीगण के वकील ने निवेदन किया कि प्रतिवाद अनुसार प्रतिवादी की भूमि का राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाएं ताकि राजस्व में भिन्नता नहीं आये, राजस्व कार्य आसानी से हो जाएं जो प्रदर्शित दस्तावेजों अनुसार प्रतिवादी का हक बनता है।

हस्तगत वाद अन्तर्गत धारा 49, 88(1), 89(ख), 89 (ग), 89(छ), 188 (2) (घ) व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया हुआ है।

हमने पत्रावली का वाद पत्र, जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम, तनकीयान् विद्वान अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण की प्रत्येक तनकी अनुसार बहस को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद वाद में कायम तनकीयान् अनुसार निर्णय किया जाता है।

वाद में कुल 11 तनकी तय की गई है जो तनकी वादी व प्रतिवादीगण पर निर्भर करती हैं तनकी संख्या 11 न्यायालय से सम्बन्धित है। वादी की कुल पांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

03/01/24

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 01 से 05, प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की तनकी संख्या 06 से 08, प्रतिवादी संख्या 04 से 05 की तनकी संख्या 09 व 10 निर्णित करना उचित समझते है।

तनकी संख्या 01 –

01. आया ग्राम धोरीमना पटवार क्षैत्र धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खाता संख्या 507 खसरा नम्बर 786 क्षैत्रफल 3.4641 हेक्टेयर (रकबा 21–08 बीघा) किस्म बारानी सोयम लगान 1.04 रूपये व ग्राम धोरीमना पटवार मण्डल धोरीमना तहसील धोरीमना के खाता संख्या 76 खसरा संख्या 786/24 क्षेत्रफल 0.0162 हेक्टेयर का आपस में अदला बदली व सीमाएं परिवर्तन की जाएं मूल खसरा संख्या 786 मे से क्षैत्रफल 0.2000 हेक्टेयर आवासीय, क्षैत्रफल 0.3150 हेक्टेयर वाणिज्यिक, क्षैत्रफल 0.0160 हेक्टेयर समर्पण कर रकबा कम किया जाए।

.... जिम्मे वादी

निर्णय तनकी संख्या 01 – तनकी संख्या 01 को सिद्ध करना वादी के जिम्मे थी जिसमें वादी का खसरा संख्या 786 व खसरा संख्या 786/24 की आपस में सीमाएं परिवर्तन करना व अदला– बदली करना तािा खसरा संख्या 786 में से क्षैत्रफल 0.2000 हैक्टेयर आवासीय, क्षैत्रफल 0.3150 हेक्टेयर वाणिज्यिक, क्षैत्रफल 0.0160 हेक्टेयर समर्पण का रकम कम किया जाएं का जिम्मे वादी का हैं तनकी संख्या 01 के सम्बन्ध में वादी द्वारा ब्यान व जिरह पी डब्ल्यू 01 भोमाराम, ब्यान व जिरह पी डब्ल्यू 02 लूणाराम तथा दस्तावेजात् ग्राम धोरीमना के खाता संख्या 507 की जमाबन्दी नकल प्रदर्श पी–01, ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786 का नक्शा मय जमाबन्दी प्रदर्श पी–02, सम्परिवर्तन आदेश प्रदर्श पी–03, सहमति बंटवारा प्रदर्श पी–04, सहमति बंटवारा नामा0 सं0 879 प्रदर्श पी–05, बेचान दस्तावेज संख्या 1459/96 प्रदर्श पी–06, बेचान दस्तावेज संख्या 1458/96 प्रदर्श पी–07, बेचान दस्तावेज संख्या 265/97 प्रदर्श पी–08, ग्राम धोरीमना के खाता संख्या 76 की जमाबन्दी प्रदर्श पी–09, ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786/24 का नक्शा मय जमाबन्दी प्रदर्श पी–10, बेचान दस्तावेज संख्या 1620/12 प्रदर्श पी–11, नामान्तकरण संख्या 1601 प्रदर्श पी–12, समर्पण आदेश प्रदर्श पी–13, सम्परिवर्तन आदेश प्रदर्श पी–14, आदेश पंजीकरण प्रदर्श पी–15, परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16 प्रदर्शित कराये ।

पी डब्ल्यू 01 में वादी भोमाराम ने <u>प्रथम तथ्य</u> भूमि की सीमाएं वर्तमान स्थिति अनुसार नहीं होने शपथ पत्र [illegible] में कथन किया बेचान दस्तावेज संख्या 1620/12 प्रदर्श पी–11, नामान्तकरण संख्या [illegible] प्रदर्श पी–12, ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786 का नक्शा मय जमाबन्दी [illegible] संख्या 786/24 के नक्शा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श पी– 10 का अवलोकन व अध्ययन किया बेचान दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

र्शी पी– 11 में अंकित पड़ौस में उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में वादी की स्वयं की भूमि, पूर्व दिशा में वादी स्वयं की भूमि, पश्चिम दिशा में सुरेशकुमार का प्लॉट अंकित है जबकि वर्तमान में नक्शा में प्रदर्शित नक्शा खसरा संख्या 786 मय जमाबन्दी में प्रदर्श पी– 02 में बेचान का स्थान खसरा 786 के दक्षिण भाग में तरमीम खसरा संख्या 786/3 के सेढा– सेढ व हाईवे में पर की हुई हैं जो गलत व असंगत प्रतित होती हैं। इसके सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 03 ने किसी प्रकार का विरोध दर्ज नहीं करवाया है। पूर्ण सहमति प्रर्तित होती हैं। <u>द्वितीय तथ्य</u> आवासीय, वार्णिज्यिक, व समर्पण का नामान्तकरण रकम कम करने का कथन अपने साक्ष्य शपथ पत्र में किया, सम्परिवर्तन आदेश प्रदर्श पी–03, सहमति बंटवारा प्रदर्श पी–04, सहमति बंटवारा नामा0 सं0 879 प्रदर्श पी–05, समर्पण आदेश प्रदर्श पी–13, सम्परिवर्तन आदेश प्रदर्श पी–14, आदेश पंजीकरण प्रदर्श पी–15 का अवलोकन व अध्ययन करना उचित व न्याय संगत समझते हैं सबसे पहले सम्परिवर्तन आदेश प्रदर्श पी–03, का अवलोकन से प्रतित होता हैं – कि मूल खसरा संख्या 786 रकबा 99–03 बीघा किस्म बारानी सोयम के तत्कालीन खातेदार – आसू, नीम्बा, गुलाबा, पि0 हिमता मगा, राणा, अणदा, भोमा पि0 भूपा कौम मेगवाल निवासी धोरीमना द्वारा विहित प्राधिकारी/ श्रीमान् तहसीलदार गुड़ामालानी के कार्यालय आदेश :– 82–85 दिनांक 30.01.1996 को रकबा 2000 वर्गमीटर की भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन करवा दी थी, हाईवे से पूर्व दिशा में अवस्थित है जो भूमि भाई बंटवारा अनुसार वादी भोमाराम के बंट में आ गई। उस स्थान पर तरमीम वादी के पक्ष में रकबा कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त सम्परिवर्तन सम्पूर्ण रकबा 2000 वर्गमीटर वादी के पक्ष में आ गई जो वादी के भाग में रकबा जुड़ गया। आवासीय सम्परितर्वन हाईवे से पूर्व दिशा में किया गया हैं जिसका नक्शा व राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं है, पूर्व दिशा की तरफ पूर्व में संयुक्त खातेदारी की भूमि थी सहमति बंटवारा प्रदर्श पी–04 अनुसार खेत का बंटवारा कर दिया गया हैं जो भाग भोमाराम के बंट में आ गया हैं तथा शेष भाईयों ने भोमाराम को बंट में दे दिया गया। जिसका राजस्व रेकर्ड में 2000 वर्गमीटर रकबा कम नहीं किया गया है जिसका कृषि भूमि का रकम कम कर गैर मुमकिन आवासीय दर्ज करना उचित व न्याय संगत समझते है। समर्पण आदेश प्रदर्श पी–13, के अनुसार भोमाराम स्वयं द्वारा मूल खसरा संख्या 786 मे सें वादी द्वारा कार्यालय तहसीलदार धोरीमना के आदेश क्रमांक :– /2021/समर्पण/755–758 दिनांक 01.11.2021 रकबा 0.0160 हेक्टेयर की भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कर दी का नामान्तकरण नही होने से राजस्व रेकर्ड में कम नहीं हुआ हैं जिससे राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि से कम करना उचित व न्याय संगत समझते हैं। सम्परिवर्तन आदेश प्रदर्श पी–14, आदेश पंजीकरण प्रदर्श पी–15 के अनुसार भोमाराम स्वयं मूल खसरा संख्या 786 वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

03/01/24
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

fice of Prescribed Authority : SUB DIVISIONAL OFFICER DHORIMANA Certificate Ref. No. : LC/ 2021-22/ 110383 Date 09-11-2021 रकबा 3150 वर्गमीटर की भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन करवाया जिसको राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि कम कर किस्म गैर मुमकिन वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करना उचित व न्याय संगत समझते है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवम् पत्रावली, वादपत्र, प्रदर्शित दस्तावेजों इत्यादि का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16 के अनुसार अदला बदली, सीमाएं परिवर्तन करने व आवासीय, वाणिज्यिक, समर्पण भूमि का रकबा कृषि भूमि से कम **किया जाना हम उचित एवं विधि संगत समझते है।**

अतः वादी ने तनकी संख्या 1 को भलीभांति साबित किया है लिहाजा तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 02 –

02. आया वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 786 का लगान 1.04 रूपये में से लगान 0.13 रूपये कम की जाएं।

.... **जिम्मे वादी**

निर्णय तनकी संख्या 02 – तनकी संख्या 02 को सिद्ध करना वादी के जिम्मे थी जिसमें वादी का खसरा संख्या 786 का लगान 1.04 रूपये में से लगान 0.13 रूपये कम की जाए वादी के कथन साक्ष्य शपथ पत्र व दस्तावेजात् सम्परिवर्तन आदेश प्रदर्श पी–03, सम्परिवर्तन आदेश प्रदर्श पी–14, आदेश पंजीकरण प्रदर्श पी–15 समर्पण आदेश प्रदर्श पी–13, का अध्ययन व अवलोकन किया वादग्रस्त मूल खसरा संख्या 786 में आवासीय सम्परिवर्तन रकबा 2000 वर्गमीटर, वाणिज्यिक सम्परिवर्तन रकबा 3150 वर्गमीटर, समर्पण रकबा 160 वर्गमीटर राजस्व रेकर्ड में कम नहीं होने से व नामान्तकरण नहीं होने से लगान कम नहीं की गई है। कुल लगान 1.04 रूपये होने से प्रतिबीघा लगान 0.04 रूपये होती हैं इस प्रकार कुल वादग्रस्त आराजी रकबा 21.08 बीघा है। तो एक बीघा की लगान 0.04 रूपये होगी। तो 2000 वर्गमीटर आवासीय, 3150 वर्गमीटर, वाणिज्यिक, 160 वर्गमीटर समर्पण का कुल रकबा करीबन 3.06 बीघा तो है तो उसकी रकम 0.13 कम होती हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवम् पत्रावली, वादपत्र, प्रदर्शित दस्तावेजों इत्यादि का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। कृषि भूमि वर्तमान लगान से 0.13 रूपये कम किया जाना हम उचित एवं विधि संगत समझते है।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

03/01/24

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अतः वादी ने तनकी संख्या 2 को भलीभांति साबित किया है लिहाजा तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 03 –

03. आया मूल खसरा संख्या 786 मे नया खसरा जिसका क्षैत्रफल 0.2000 हैक्टेयर में निम्न अनुसार उपविभाजित किया जाएं – उसके बाद वादी स्वयं का क्षेत्रफल 0.1231 हेक्टेयर, उसके बाद प्रतिवादी संख्या 02 सुरेशकुमार पुत्र मेवाराम का क्षैत्रफल 0.0186 हेक्टेयर (कुल क्षैत्रफल 2000 वर्गफिट), उसके बाद प्रतिवादी संख्या 04 गिरधारीराम पुत्र लिखमाराम की क्षैत्रफल 0.0186 हेक्टेयर (1500 वर्गफिट व 500 वर्गफिट कुल क्षैत्रफल 2000 वर्गफिट) , उसके बाद वादी स्वयं की क्षैत्रफल 0.0397 हेक्टेयर, (1231, 186,186,397) वर्गमीटर आवासीय की जाएं। मूल खसरा संख्या 786 में नया खसरा जिसका क्षैत्रफल 0.3150 हेक्टेयर में से निम्न अनुसार उपविभाजित किया जाएं वादी स्वयं क्षैत्रफल 0.2778 हेक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 05 के नाम क्षैत्रफल 0.0372 हेक्टेयर (कुल क्षैत्रफल 4000 वर्गफिट) किया जाएं।

.... जिम्मे वादी

निर्णय तनकी संख्या 03 – तनकी संख्या 03 को सिद्ध करना वादी के जिम्मे थी जिसमें वादी मूल खसरा संख्या 786 मे नया खसरा जिसका क्षैत्रफल 0.2000 हैक्टेयर में निम्न अनुसार उपविभाजित किया जाएं – उसके बाद वादी स्वयं का क्षेत्रफल 0.1231 हेक्टेयर, उसके बाद प्रतिवादी संख्या 02 सुरेशकुमार पुत्र मेवाराम का क्षैत्रफल 0.0186 हेक्टेयर (कुल क्षैत्रफल 2000 वर्गफिट), उसके बाद प्रतिवादी संख्या 04 गिरधारीराम पुत्र लिखमाराम की क्षैत्रफल 0.0186 हेक्टेयर (1500 वर्गफिट व 500 वर्गफिट कुल क्षैत्रफल 2000 वर्गफिट) , उसके बाद वादी स्वयं की क्षैत्रफल 0.0397 हेक्टेयर, (1231, 186,186,397) वर्गमीटर आवासीय की जाएं। मूल खसरा संख्या 786 में नया खसरा जिसका क्षैत्रफल 0.3150 हेक्टेयर में से निम्न अनुसार उपविभाजित किया जाएं वादी स्वयं क्षैत्रफल 0.2778 हेक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 05 के नाम क्षैत्रफल 0.0372 हेक्टेयर (कुल क्षैत्रफल 4000 वर्गफिट) किया जाएं वादी के कथन साक्ष्य शपथ पत्र व दस्तावेजात् बेचान दस्तावेज संख्या 1459/96 प्रदर्श पी–06, बेचान दस्तावेज संख्या 1458/96 प्रदर्श पी–07, बेचान दस्तावेज संख्या 265/97 प्रदर्श पी–08, परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16, का अध्ययन व अवलोकन किया वादग्रस्त मूल खसरा संख्या 786 में आवासीय सम्परिवर्तन रकबा 2000 वर्गमीटर में वादी स्वयं द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 को बेचान किया गया, वादी स्वयं द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 को बेचान किया ... मूल खसरा संख्या 786 में आवासीय सम्परिवर्तन रकबा 2000 वर्गमीटर में से परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी– 16 अनुसार बेचान दस्तावेज अनुसार रकबा कम करना उचित व न्याय संगत रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

03/01/24

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवम् पत्रावली, वादपत्र, प्रदर्शित दस्तावेजों इत्यादि का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। परिशिष्ठ '' अ'' प्रदर्श पी–16 अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाना हम उचित एवं विधि संगत समझते है।

अतः वादी ने तनकी संख्या 3 को भलीभांति साबित किया है लिहाजा तनकी संख्या 03 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 04 व 05 समान होने से एक साथ निर्णित किया जाना प्रस्तावित हैं

4. आया वादी की इस्तदुआ 18क, 18ख, 18ग अनुसार सीमाएं परिवर्तन, रकबा कम, सम्परिवर्तन अलग–अलग खाता का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाएं।

.... जिम्मे वादी

05. आया वाद में घोषणा बाद वादी को प्राप्त होने वाली भूमि में प्रतिवादीगण उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि किसी प्रकार की दंखल अन्दाजी व हस्तक्षेप, बाधा व परिवर्तन नहीं करें, तथा वादी को अपने कब्जे काश्त की भूमि तक आने–जाने में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें राजस्व व मौके पर रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, जिस हेतु प्रतिवादीगण उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंदित किया जावें।

.... जिम्मे वादी

निर्णय तनकी संख्या 04, 05 – तनकी संख्या 04, 05 को सिद्ध करना वादी के जिम्मे थी दोनों तनकी पूर्व तनकी संख्या 01, 02, 03 के पूरक हैं इसलिए तीनों तनकी वादी के पक्ष में सिद्ध होने से यह दोनों तनकियां भी वादी के पक्ष में हैं तनकी संख्या 05 कानूनी हैं जो वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की हैं जो राजस्व रेकर्ड में अंकन होने के बाद आपस में किसी प्रकार से दखलअदांजी व हस्तक्षेप नहीं करने की हैं जो स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवम् पत्रावली, वादपत्र, प्रदर्शित दस्तावेजों इत्यादि का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। परिशिष्ट ''अ'' प्रदर्श पी– 16 अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन व आपस में स्थायी निषेधाज्ञा घोषित किया जाना हम उचित एवं विधि संगत समझते है।

अतः वादी ने तनकी संख्या 04, 05 को भलीभांति साबित किया है लिहाजा तनकी संख्या 04, 05 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 06, 07, 08 समान होने से एक साथ निर्णित किया जाना प्रस्तावित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

03/01/24

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) ... सत्यमेव जयते ... जिला-बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

तनकीयात्

06. आया ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786/24 में प्रतिवादी संख्या 01 कालूराम पुत्र भाखराराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल पुत्र मेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाएं।

.... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 03

07. आया बेचान दस्तावेज दिनांक 05.10.2012 में अंकित खसरा 786/19 के स्थान पर खसरा संख्या 786/24 घोषित किया जाएं।

.... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 03

08. आया खसरा संख्या 786 में आवासीय भूमि 2000 वर्गमीटर में से रकबा 2000 वर्गफिट यानि 0.0186 हेक्टेयर का मालिक प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल पुत्र मेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाएं।

.... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 03

निर्णय तनकी संख्या 06, 07, 08 – तनकी संख्या 06, 07, 08 को सिद्ध करना प्रतिवादी संख्या 03 के जिम्मे थी जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खसरा संख्या 786/24 प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने व बेचान दस्तावेज संख्या 05.10.2012 में अंकिन खसरा संख्या 786/19 के स्थान पर खसरा संख्या 786/24 घोषित किया जाएं मूल खसरा संख्या 786 में आवासीय भूमि 2000 वर्गमीटर में से 186 वर्गमीटर प्रतिवादी संख्या 03 के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाएं की हैं के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 01 कालूराम का साक्ष्य शपथ पत्र पी डब्ल्यू – 01, साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी संख्या 02 सुरेशकुमार पी डब्ल्यू 02, साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल पी डब्ल्यू – 02 मय ब्यान व जिरह वादी वकील तथा दस्तावेजात्– बेचान दस्तावेज संख्या 2012002020/05.10.12 प्रदर्श डी 01, दान पत्र दस्तावेज संख्या 202303110101394/ 03.10.2023 प्रदर्श डी–02, बेचान दस्तावेज संख्या 1459/96 प्रदर्श पी–06, परिशिष्ठ '' अ'' प्रदर्श पी–16, का अध्ययन व अवलोकन किया वादग्रस्त मूल खसरा संख्या 786 में में वादी भोमाराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 कालूराम को बेचान किया है। प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 03 को बेचान कर दिया हैं बेचान दस्तावेज संख्या 2012002020/05.10.12 प्रदर्श डी 01 में स्पष्ठ अंकित है। बेचान दस्तावेज संख्या 1459/96 प्रदर्श पी–06 के अनुसा[illegible] संख्या 02 के पक्ष में बेचान किया, प्रतिवादी संख्या 02 ने दान पत्र [illegible] पत्र दस्तावेज संख्या 202303110101394/ 03.10.2023 [illegible] में कर दिया है। दस्तावेजों अनुसार राजस्व रेकर्ड में परिशिष्ठ '' अ'' प्रदर्श पी–16, अंकन करना उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

03/01/24

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

तथा बेचान दस्तावेज में खसरा संख्या 786/19 अंकित हैं जबकि वास्तविक रूपे वर्तमान रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 786/24 प्रमाणित है। उक्त दस्तावेजों अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाना करना उचित व न्याय संगत रहेगा।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 03 की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवम् पत्रावली, वादपत्र, प्रतिवाद प्रतिवादी संख्या 03, प्रदर्शित दस्तावेजों इत्यादि का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16, अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन **किया जाना हम उचित एवं विधि संगत समझते है।**

अतः प्रतिवादी संख्या 03 ने तनकी संख्या 06, 07, 08 को भलीभांति साबित किया है लिहाजा तनकी संख्या 06, 07, 08 प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 08, 09 समान होने से एक साथ निर्णित किया जाना प्रस्तावित हैं

तनकीयात्

09. आया ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786 में आवासीय भूमि 2000 वर्गमीटर में से रकबा 2000 वर्गफिट यानि 0.0186 हेक्टेयर का मालिक प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी मूढ़सर के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाएं।

.... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 05

10. आया वादी द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन रकबा 3150 वर्गमीटर में से बेचान दिनांक 07.01.2022 क्षैत्रफल 4000 वर्गफिट यानि 372 वर्गमीटर बेचान प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम के नाम राजस्व रेकर्ड दन्द्राज किया जाएं।

.... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 05

निर्णय तनकी संख्या 09, 10 – तनकी संख्या 09, 10 को सिद्ध करना प्रतिवादी संख्या 05 के जिम्मे थी जिसमें ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786 में आवासीय भूमि 2000 वर्गमीटर में से रकबा 0.0186 हेक्टेयर का मालिक प्रतिवादी संख्या 05 के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाएं तथा आया वादी द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन रकबा 3150 वर्गमीटर में से बेचान दिनांक 07.01.2022 क्षैत्रफल 4000 वर्गफिट यानि 372 वर्गमीटर बेचान प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम के नाम राजस्व रेकर्ड दन्द्राज किया जाएं की हैं के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 04 गिरधारीराम का साक्ष्य शपथ पत्र पी डब्ल्यू – 04, साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम पी डब्ल्यू 05, मय ब्यान व जिरह वादी वकील तथा दस्तावेजात्– बेचान दस्तावेज [illegible] 2303110100045/ 07.01.2022 प्रदर्श डी–03, दान पत्र दस्तावेज संख्या 2023[illegible]01393/ 09.10.2023 प्रदर्श डी–04, बेचान दस्तावेज संख्या 1458/96 प्रदर्श [illegible], बेचान दस्तावेज संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

03/01/24

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]/97 प्रदर्श पी–08, परिशिष्ठ '' अ'' प्रदर्श पी–16, का अध्ययन व अवलोकन किया वादग्रस्त मूल खसरा संख्या 786 में में वादी भोमाराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 गिरधारीराम को बेचान दस्तावेज संख्या 1458/96 प्रदर्श पी–07, बेचान दस्तावेज संख्या 265/97 प्रदर्श पी–08, बेचान दस्तावेज के जरिये आवासीय भूमि का बेचान किया है। प्रतिवादी संख्या 04 गिरधारीराम ने प्रतिवादी संख्या 05 को दान पत्र दस्तावेज संख्या 20230311010139З/ 03.10.2023 प्रदर्श डी–04, दान कर दिया हैं व वादी भोमाराम ने बेचान दस्तावेज संख्या 202303110100045/ 07.01.2022 प्रदर्श डी–03 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम को बेचान कर दिया है। जो दस्तावेज से साबित है। दस्तावेजों अनुसार राजस्व रेकर्ड में परिशिष्ठ '' अ'' प्रदर्श पी–16 अंकन करना उचित व न्याय संगत रहेगा।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 05 की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवम् पत्रावली, वादपत्र, व प्रतिवाद (काउन्टर क्लेम) प्रदर्शित दस्तावेजों इत्यादि का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। परिशिष्ठ '' अ'' प्रदर्श पी–16, अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाना हम उचित एवं विधि संगत समझते है।

अतः प्रतिवादी संख्या 05 ने तनकी संख्या 09, 10 को भलीभांति साबित किया है लिहाजा तनकी संख्या 09, 10 प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 11 अन्य अनुतोष है हमने तनकी संख्या 01 से 10 को वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निस्तारित कर दिया है अतः हम अन्य कोई अनुतोष प्रदान करना उचित नही समझते है।

वादी, प्रतिवादी संख्या 03, प्रतिवादी संख्या 05 के वाद पत्र, प्रतिवाद अनुसार तनकीयात् कायम होने तथा आपस में किसी प्रकार से विरोधीभाषी नहीं होने से सभी तनकीयात अपने–अपने पक्ष में परिशिष्ठ '' अ'' प्रदर्श पी–16, अनुसार निर्णित किया जाना उचित व विधि संगत समझते है। उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करना आवश्यक है।

–:: आदेश ::–

अतः परिणामस्वरूप डिक्री बहक वादी, प्रतिवादी संख्या 03, प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में इस आशय की सादिर की जाती है कि वादी का वाद, प्रतिवादी संख्या 03 के प्रतिवाद, प्रतिवादी संख्या 05 के प्रतिवाद इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि :–

01. वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल [illegible] धोरीमना के खसरा संख्या 786 क्षैत्रफल 3.4641 हेक्टेयर व ग्राम धोरीमना के [illegible]रा [illegible]ा 786/24 क्षैत्रफल 0.0162 हेक्टेयर की बदला– [illegible] रेकर्ड इन्द्राज, "परिशिष्ठ '' अ'' प्रदर्श पी–16" अनुसार करने का आ[illegible] दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

03/01/24

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त खसरा संख्या 786 में "परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16" अनुसार वादी भोमाराम पुत्र भूपाराम के नाम भाग संख्या 01 रकबा 2.9331 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम, भाग संख्या 02 रकबा 0.2778 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन वाणिज्यिक, भाग संख्या 03 रकबा 0.1231 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आवासीय, भाग संख्या 04 रकबा 0.0397 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आवासीय राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करने का तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिया जाता है।

03. वादग्रस्त खसरा संख्या 786 में "परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16" अनुसार राज्य सरकार के नाम भाग संख्या 05 रकबा 0.0160 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करने का तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिया जाता है।

04. वादग्रस्त खसरा संख्या 786, 786/24 में "परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16" अनुसार प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल के नाम भाग संख्या 06 रकबा 0.0186 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आवासीय, खसरा संख्या 786/24 भाग संख्या 07 रकबा 0.0162 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आवासीय राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करने व खसरा संख्या 786/24 में प्रतिवादी संख्या 01 कालूराम का नाम प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल के पक्ष में विलोपित करने का तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिया जाता है।

05. वादग्रस्त खसरा संख्या 786 में "परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16" अनुसार प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम के नाम भाग संख्या 08 रकबा 0.0186 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आवासीय, भाग संख्या 09 रकबा 0.0372 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन वाणिज्यिक राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करने का तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिया जाता है।

06. वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 786 में 2000 वर्गमीटर आवासीय, 3150 वर्गमीटर वाणिज्यिक, 160 वर्गमीटर समर्पण की भूमि कम होने से वर्तमान लगान से लगान 0.13 रूपये कम करने का आदेश दिया जाता है।

07. वादी, प्रतिवादी संख्या 03, प्रतिवादी संख्या 05 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता हैं कि "परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16" अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन होने के बाद आपस में दखलअंदाजी नहीं करें। पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर निर्णय का अंग माना जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए लेख मण्डार हो।

03/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 03/01/24 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

03/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना

बईजलास : श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

वादी

1. भोमाराम पुत्र भूपाराम जाति मेघवाल निवासी धोरीमना पटवार क्षैत्र धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कालूराम पुत्र शाखराराम जाति मेघवाल निवासी मेगवालों की बस्ती, पटवार क्षैत्र चैनपुरा तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।
2. सुरेश पुत्र मेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना पटवार क्षैत्र धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।
3. जेठमल पुत्र मेवाराम जाति जैन निवासी धोरीमना पटवार क्षैत्र धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाडमेर राजस्थान।
4. गिरधारीराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी मूढ़सर पटवार क्षैत्र बोर चारणान् तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।
5. धर्माराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी मूढसर पटवार क्षैत्र बोर चारणान् तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।

मुकदमा नम्बर :– 99/2023

दावा बाबत् :– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 49, 88(1), 89(ख), 89 (ग), 89(छ), 188 (2) (घ) व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिब **मुदई वादी, प्रतिवादी संख्या 03, प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में इस आशय की सादिर की जाती** है व वादी का वाद, प्रतिवादी संख्या 03 के प्रतिवाद, प्रतिवादी संख्या 05 के प्रतिवाद इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि :–

अतः परिणामस्वरूप डिक्री बहक वादी, प्रतिवादी संख्या 03, प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में इस आशय की सादिर की जाती है कि वादी का वाद, प्रतिवादी संख्या 03 के प्रतिवाद, प्रतिवादी संख्या 05 के प्रतिवाद इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि :–

1. वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल धोरीमना के राजस्व ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786 क्षैत्रफल 3.4641 हेक्टेयर व ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 786/24 क्षैत्रफल 0.0162 हेक्टेयर की बदला– बदली, सीमाएं परितर्वतन, राजस्व रेकर्ड इन्द्राज, "परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16" अनुसार करने का आदेश दिया जाता है।
2. वादग्रस्त खसरा संख्या 786 में "परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16" अनुसार वादी भोमाराम पुत्र भूपाराम के नाम भाग संख्या 01 र[illegible] हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम, भाग संख्या 02 रकबा 0.[illegible] हेक्टेयर किस्म [illegible] वाणिज्यिक, भाग संख्या 03 रकबा 0.1231 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आवासीय, भाग संख्या 04

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

(मुहर: सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर, सत्यमेव जयते)

03/01/24

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.0397 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आवासीय राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करने का तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिया जाता है।

3. वादग्रस्त खसरा संख्या 786 में "परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16" अनुसार राज्य सरकार के नाम भाग संख्या 05 रकबा 0.0160 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करने का तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिया जाता है।

4. वादग्रस्त खसरा संख्या 786, 786/24 में "परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16" अनुसार प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल के नाम भाग संख्या 06 रकबा 0.0186 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आवासीय, खसरा संख्या 786/24 भाग संख्या 07 रकबा 0.0162 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आवासीय राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करने व खसरा संख्या 786/24 में प्रतिवादी संख्या 01 कालूराम का नाम प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल के पक्ष में विलोपित करने का तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिया जाता है।

5. वादग्रस्त खसरा संख्या 786 में "परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16" अनुसार प्रतिवादी संख्या 05 धर्माराम के नाम भाग संख्या 08 रकबा 0.0186 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आवासीय, भाग संख्या 09 रकबा 0.0372 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन वाणिज्यिक राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करने का तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिया जाता है।

6. वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 786 में 2000 वर्गमीटर आवासीय, 3150 वर्गमीटर वाणिज्यिक, 160 वर्गमीटर समर्पण की भूमि कम होने से वर्तमान लगान से लगान 0.13 रूपये कम करने का आदेश दिया जाता है।

वादी, प्रतिवादी संख्या 03, प्रतिवादी संख्या 05 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता हैं कि "परिशिष्ठ " अ" प्रदर्श पी–16" अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन होने के बाद आपस में दखलअंदाजी नहीं करें।

खर्चा वादी, व प्रतिवादीगण अपना– अपना वहन करें।

नीज..............–..............मुबलिक...................–.............बाबत्.....–.........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर..........–.........फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ....–............... ....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 03/01/24 को सरे ईजलास जारी किया गया।

मोहर

03/01/24

(नारायाराम, RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner